

जालंधर उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मुकेश बनाम सीकर

19.3/11 मु. नं० वर्ष

आज्ञा पत्र

पत्रावली नं० 25/10/21 को पेश हो (21)

पत्रावली नं० 25/10/21 को पेश हो (21)
 कथन भविष्य में एक पत्नीपुत्री जन्म
 कथन पर मनन किया गया एवं पत्रावली
 पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
 किया गया। मूलकार अंशद्वारा
 विवाहिक भूमि का रॉयल्टी काउंट
 रिकॉर्ड की ब्यालियरि में परिवर्तन
 करने पर प्रार्थना के लिए प्रभावित हो रहे हैं।
 अव: प्रार्थना - पत्र प्रार्थना में स्वीकार
 किया जाता है तथा उभयपक्षों
 पर्याप्त रूप से निषेधाज्ञा से अनुरोध
 रूप में पाकन किया जाता है कि वे
 विवाहिक भूमि नं. 2433/2112
 बंका 1.92 वाले शक अंशद्वारा लह.
 क जिला सीकर की भूमि पर रॉयल्टी काउंट
 रिकॉर्ड की ब्यालियरि बनाये
 रखें। पत्रावली के साथ भूमि होकर
 नम्बर से समझे। दाखिल दफतर हो।
 निर्णय आज ही दस्तावेज से पुनः जांचा

उपखण्ड अधिकारी, सीकर